भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4389 का उत्तर

सोलापुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर

4389. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सोलापुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर क्रियाशील लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त स्टेशन पर वरिष्ठ और दिव्यांग यात्रियों के लिए ईवी परिवहन शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्टेशन परिसर में यातायात को विनियमित करने और सुरक्षित, सुलभ प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): महाराष्ट्र राज्य में स्थित सोलापुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु चिह्नित किया गया है। परिचलन क्षेत्र में सुधार, स्टेशन भवन के अग्र भाग की ऊँचाई, जल निकासी, प्रवेश लॉबी, द्वितीय प्रवेश द्वार बुकिंग कार्यालय और परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्रतीक्षालय का सुधार, पेयजल बूथ, शौचालय, प्लेटफ़ॉर्म की

सतह निर्माण और मौजूदा ऊपरी पैदल पार पुल के लिए रैंप का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नए शौचालय ब्लॉक और ऊपरी पैदल पार पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस समय, सोलापुर स्टेशन पर 02 एस्केलेटर और 03 लिफ्टें मुहैया कराई गई हैं।

इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन तक पहुँच और परिचलन क्षेत्रों में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठक व्यवस्था और पेयजल-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म को ऊपर से कवर करना
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के जरिए स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

- **प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटीव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान**

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक, इस योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 132 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
महाराष्ट्र	132	अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चंदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (म.रे.), दादर (प.रे.), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धाराशिव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हज़ूर साहिब नांदेड़, हिमायत नगर,

		हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, इगतपुरी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जं, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी जं, कुर्ला जं, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद जं, लोनावला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड जं, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज जं, मुदखेड़ जं, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर जं, नागरसोल, नागपुर जं, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़ जं, नासिक रोड, नेताजीसुभाष चंद्र बोस, इतवारी जं, पाचोरा जं, पालघर, पंढरपुर, पनवेल जं, परभणी जं, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव जं, पुणे जं., पूर्णा जं, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपतिशाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्याविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार

महाराष्ट्र राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक, इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के 15 स्टेशनों (आमगाँव, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगाँव, लासलगाँव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल,

सावदा, शहाड और वडाला रोड) पर चरण-I का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से शुरू किया गया है और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- पालघर स्टेशन: प्लेटफार्म संख्या 2/3 पर नए प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म की सतह का निर्माण, नए कोपिंग ब्लॉक और प्लेटफार्म संख्या 2/3 पर स्पर्शनीय टाइल का कार्य पूरा कर लिया गया है। नए स्टेशन भवन, नए एलिवेटेड डेक और नए पैदल पार पुल के लिए साइट की तैयारी का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- मुंब्रा स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 4 का फर्श संबंधी कार्य, प्लेटफॉर्म संख्या 3 की सीटों की व्यवस्था में सुधार, पैदल पार पुल का फर्श संबंधी कार्य, नए शौचालय ब्लॉक, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, पूर्वी छोर पर परिचलन क्षेत्र का विकास, टिकट बुकिंग कार्यालय और शौचालय ब्लॉक के सुधार का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्लेटफार्म संख्या 1 पर एस्केलेटरों से संबंधित कार्य शुरू किया गया है।
- दिवा स्टेशन: पूर्वी छोर की ओर परिचलन क्षेत्र और पार्किंग के पुनर्विकास के कार्य, पूर्वी छोर की ओर स्टेशन भवन में सुधार, नया प्रवेश द्वार, पूर्वी छोर की ओर पैदल पार पुल में सुधार, पूर्वी छोर की ओर पैदल पार पुल के लिए नई सीढ़ियों का निर्माण कार्य, प्लेटफार्म संख्या 7/8 का प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म संख्या 5/6 और 7/8 की सतह की ऊंचाई बढ़ाने और फर्श संबंधी कार्य, पश्चिमी छोर पर नए शौचालय ब्लॉक और सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 7/8 के नए शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस छोर पर नए 6 मीटर पैदल पार पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन

में, भारत के राजपत्र में "दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ भूमिगत पैदल पारपथ/ऊपरी पैदल पुल, ब्रेल संकेतकों सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय पथ आदि का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के कार्य सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किया जाता है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन के समय निचली श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल स्टेशनों का विकास/उन्नयन/ आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 'के अंतर्गत निधियों के आबंटन का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। महाराष्ट्र राज्य चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार के तहत कवर किया जाता है। इन जोनों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 3751 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें से अभी तक 1170 करोड़ रु. का व्यय (जुलाई, 2025 तक) किया गया है।

इसके अलावा, स्टेशनों पर यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए जीआरपी/स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) तत्काल सहायता के लिए यात्री सीधे रेल मदद पोर्टल पर या हेल्पलाइन नंबर 139 [इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) नंबर 112 के साथ एकीकृत] के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं।

(ii) यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलवे ट्विटर और फेसबुक आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है।

(ii) चोरी, छीना-झपटी, ज़हरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जाती हैं।

(iv) यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

(v) रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) गठित की गई है।

(vi) भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी/राज्य पुलिस और संबंधित रेलवे विभागों के साथ समन्वय किया जाता है।

(vii) रेलवे स्टेशनों पर सुभेद्यता का आकलन किया जाता है और तदनुसार, संवेदनशील स्थानों पर यथासंभव राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ताकि भारी भीड़ के दौरान भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

(viii) भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने हेतु पैदल पार पुलों पर जीआरपी और आरपीएफ के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

*****